निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 4/प्रा0पत्र/13 तारीख दायरा: 15.06.17

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी थाना कोतवाली झालावाड़

प्रार्थी.........

बनाम

1. श्री बद्रीलाल पुत्र0 नेमीचन्द जाति महाजन निवासी भीमसिंह जी की हवेली के पीछे झालावाड़।
2. श्री फख्र रूद्दीन पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डोलरवालों का मोहल्ला झालावाड.। (वाहन चालक)
3. मकबूल पुत्र बाबूखाँ जाति मुसलमान निवासी महेशपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़। (वाहन मालिक)

अप्रार्थीगण.....

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 बाबत जप्त शुद्वा 220 लीटर केरोसीन मय आटो महिन्द्रा अल्फा नं0 आर0जे0 17 पी0ए0 0512 को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:– पेरोकार सरकार (रसद)

–: निर्णय :– दिनांक: 15.09.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 301/प्रा0पत्र/13 में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 03.06.2014 पारित किया जाकर जब्त शुदा 220 लीटर केरोसीन तेल मय ड्रम मय आटो महिन्द्रा अल्फा नं0 आर0जे017 पी0ए0 0512 को राजसात कर 220 लीटर केरोसीन मय ड्रम के अन्तिम निस्तारण से प्राप्त राशि को अमानत मद से हटाकर राज कोष में जमा करवाये जाने तथा आटो महिन्द्रा अल्फा नं0 आर0जे0 17 पी0ए0 0512 की नियमानुसार नीलामी की जाकर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये थे, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अपील माननीय सैशन न्यायाधीश झालावाड़ के यंहा प्रस्तुत करने पर माननीय सैशन न्यायालय ने अपील संख्या 16/17 निर्णय दिनांक 30.05.2017 से अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय 03.06.14 को अपास्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई की अधीनस्थ न्यायालय वाहन स्वामी व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनकर प्रकरण में विहित विधिक प्रकिया अपनाते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें।

प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी नं0 3 द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि प्रार्थी जप्तशुद्वा वाहन का स्वामी है जिसे पक्षकार बनाया जावे। प्रा0पत्र दिनांक 27.06.17 को स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री बद्रीलाल माहेश्वरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को दिनांक 25.08.2020 व 03.09.2020 को बहस हेतु समय चाहे जाने पर न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किया गया परन्तु आज अभिभाषक बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुए बहस पेरोकार सरकार सुनी गई।

पेरोकार रसद ने दौराने बहस व्यक्त किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जब्त शुदा 220 लीटर केरोसीन तेल को राजसात करने एवं केरोसीन को ले जाने हेतु उपयोग

जिला कलक्टर
झालावाड़

में लिये गये वाहन को नीलामी का जो आदेश पारित किया गया है वह सही है। अप्रार्थीगण के पास सरकारी उचित मूल्य की दुकान की राशन की वस्तु को इस तरह से ले जाने व बेचने के बाबत कोई अनुज्ञा पत्र नही था। अप्रार्थीगण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंण्डनीय अपराध है किया है। जब्त शुदा 220 लीटर केरोसीन तेल मय ड्रम को राजसात किये जाने एवं आटो महिन्द्रा अल्फा नं0 आर0जे0 17 पी0ए0 0512 की नियमानुसार नीलामी की जाकर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के 220 लीटर केरोसीन तेल को आटो महिन्द्रा अल्फा नं0 आर0जे0 17 पी0ए0 0512 से अवैध रूप से राशन की दुकान से बाहर लाया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था, अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सैशन न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2017 की पालना में अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी असमर्थ रहे हैं जबकि इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा उनको कई अवसर प्रदान किये गये। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 301/प्रा0पत्र/13 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2014 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। प्रकरण नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर,
झालावाड

जिला कलेक्टर
झालावाड